

प्रेषक,

आयुक्त,  
कानपुर मण्डल, कानपुर।

सेवा में

सचिव,  
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद्,  
शिक्षा केन्द्र-2 समुदाय केन्द्र, प्रीति बिहार  
नई दिल्ली।

पत्रांक: सी० / ३७८८.९४ / इन०ओ०सी० / 2012-13

दिनांक ३१/०७/२०१२

विषय:- सेवन हिल्स, इटावा को सी०बी०एस०ई० नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति  
प्रमाण पत्र दिया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुये शासनादेश संख्या: 1916 / 15-7-091(299) / 2007 दिनांक 14-07-2009 द्वारा गठित मण्डलीय समिति की बैठक दिनांक 17-07-2012 में लिए गये निर्णयानुसार सेवन हिल्स, इटावा को सी०बी०एस०ई० नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने में राज्य सरकार को निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन आपत्ति नहीं है:-

- 1- विद्यालय की पंजीकृत सोसाइटी की समय-समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा।
- 2- विद्यालय की प्रबन्ध समिति में शिक्षा निदेशक, उ०प्र० नामित एक सदस्य होगा।
- 3- विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/जनजाति के मेधावी बच्चों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनमें उ०प्र० माध्यमिक शिक्षा परिषद् द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा।
- 4- संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद् अथवा बेसिक शिक्षा परिषद्/कौसिल फार दि इण्डियन स्कूल सर्टिफिकेट इक्जामिनेशन नई दिल्ली से प्राप्त होती है तो उस परीक्षा वर्ष से उक्त केन्द्रीय परिषदों की सम्बद्धता प्राप्त होने की तिथि से उ०प्र० माध्यमिक शिक्षा परिषद् द्वारा प्रदत्त मान्यता तथा राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान खत: समाप्त हो जायेगे।
- 5- संस्थान के शैक्षिक एवं शिक्षणोत्तर कर्मचारियों का राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नहीं दिये जायेंगे।
- 6- कर्मचारियों की सेवा शर्ते बनायी जायेंगी और उन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों को अनुमन्य सेवानिवृत्त का लाभ उपलब्ध कराये जायेंगे।

- 7— राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेगे संस्था उनका पालन करेगी।
- 8— विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित द्रपत्र पत्रिकाओं में रखा जायेगा।
- 9— उक्त शर्तों में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन/परिवर्द्धन नहीं किया जायेगा।

उक्त प्रतिबन्धों का पालन करना संस्था के लिए अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्धों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार की चूक या शिथिलता बरती जाती है तो प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र वापस ले लिया जायेगा।

मवदीया  
 (शालिनी प्रसाद)  
 आयुक्त  
 कानपुर मण्डल, कानपुर

पृ०स०:सी० / ३७८८ - ९५ / २०१२-१३ दिनांक

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- 1— सचिव (पाठ्यमिक शिक्षा) उ०प्र० शासन शिक्षा अनुभाग—७ लखनऊ।
- 2— जिलाधिकारी, कानपुर नगर।
- 3— शिक्षा निदेशक (मा०) उ०प्र० शिविर कार्यालय १८ पार्क रोड, लखनऊ।
- 4— जिला विद्यालय निरीक्षक, कानपुर नगर।
- 5— निरीक्षक, आंग्ल भारतीय विद्यालय, उ०प्र० लखनऊ।
- 6— प्रबन्धक / सचिव, सेवन हिल्स गुरुनानक कोल्ड स्टोर के पीछे, बक्का बाग, इटावा।
- 7— गार्ड फाइल।

५  
 (माया निरजन)  
 सयुक्त शिक्षा निदेशक,  
 कानपुर मण्डल, कानपुर